मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 2025 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 29 जुलाई, 2025 (श्रावण 7, 1947)

समय 11.00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) **श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वाणिज्यिक कर),** मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

(क) एफ ए 3-13-2017-1-पांच (01), दिनांक 20 फरवरी, 2025,
(ख) एफ ए 3-72-2017/1/पांच (02), दिनांक 24 फरवरी, 2025,
(ग) एफ ए 3-11/2018/1/पांच (03), दिनांक 24 फरवरी, 2025,
(घ) एफ ए 3-33/2017/1/पांच (04), दिनांक 24 फरवरी, 2025,
(ङ) एफ-ए-3-35/2017/1/पांच (05), दिनांक 24 फरवरी, 2025,
(च) एफ ए 3-32/2017/1/पांच (06), दिनांक 24 फरवरी, 2025,
(छ) एफ ए 3-42/2017/1/पांच (07), दिनांक 24 फरवरी, 2025,
(ज) एफ ए 3-47/2017/1/पांच (08), दिनांक 24 फरवरी, 2025,
(झ) एफ ए 3-43/2017/1/पांच (09), दिनांक 24 फरवरी, 2025,
(ञ) F.No 3-3-4-0006-2025-Sec-1-पांच (CT) (10), दिनांक 18 मार्च, 2025,
(ट) CT-8-0001-2025-Sec-1-पांच (CT) (11), दिनांक 18 मार्च, 2025,
(ठ) F.No 3-3-4-0004-2025-Sec-1-पांच (CT) (12), दिनांक 18 मार्च, 2025,
(ड) एफ ए 3-02-2017-1-पांच (13), दिनांक 20 मार्च, 2025,
(ढ) CT/8/0005/2025-Sec-1-05 (CT) (14), दिनांक 21 मार्च, 2025,
(ण) CT/8/0002/2025-Sec-1-05 (CT) (15), दिनांक 21 मार्च, 2025,
(त) CT/8/0004/2025-Sec-1-05 (CT) (16), दिनांक 21 मार्च, 2025,
(थ) CT-8-0007-2024-Sec-1-पांच (CT) (17), दिनांक 28 मार्च, 2025,
(द) CT-4-2-0001-2023-Sec-1-पांच (CT) (18), दिनांक 28 अगस्त, 2025,
(ध) CT/8/0007/2025-Sec-1-05 (CT) (19), दिनांक 21 अप्रैल, 2025, एवं
(न) CT/8/0006/2025-Sec-1-05 (CT) (20), दिनांक 21 अप्रैल, 2025

पटल पर रखेंगे.

(2) **श्री राजेन्द्र शुक्ल, उप मुख्यमंत्री (लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा),** मध्यप्रदेश उपचारिका, प्रसाविका, सहायी उपचारिका-प्रसाविका तथा स्वास्थ्य परिदर्शक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1972 (क्रमांक 46 सन् 1973) की धारा 33 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

(क) क्रमांक एफ-3-3-4-001-1-सत्रह (PHE) भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर, 2024, एवं
(ख) एफ 3-3-4-0001-2025-1-सत्रह- भोपाल, दिनांक 23 जनवरी, 2025 (संशोधन)

पटल पर रखेंगे.

(3) **श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री,** द रियल स्टेट (रेग्युलेशन एण्ड डेव्हलपमेंट) एक्ट, 2016 (क्रमांक 16 सन् 2016) की धारा 78 की उपधारा (2) के तहत बनाये गये भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण नियम, 2017 की कंडिका 38 की अपेक्षानुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष हेतु मध्यप्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के वित्तीय लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

(4) **सुश्री निर्मला भूरिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री,** बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (क्रमांक 4 सन् 2006) के तहत राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियम, 2007 की कंडिका 20 की उप कंडिका (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024 पटल पर रखेंगी.

(5) **श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री -**

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार –

(i) बाणसागर थर्मल पॉवर कम्पनी लिमिटेड का 13वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024, एवं

(ii) शहपुरा थर्मल पॉवर कम्पनी लिमिटेड का 18वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024, तथा

(ख) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

(i) क्रमांक 423/मप्रविनिआ/2025 भोपाल, दिनांक 04 मार्च, 2025,

(ii) क्रमांक 424/मप्रविनिआ/2025 भोपाल, दिनांक 04 मार्च, 2025,

(iii) क्रमांक 570/मप्रविनिआ/2025 भोपाल, दिनांक 27 मार्च, 2025, एवं

(iv) क्रमांक 571/मप्रविनिआ/2025 भोपाल, दिनांक 27 मार्च, 2025

पटल पर रखेंगे.

(6) **श्री राकेश शुक्ला, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री,** कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का 40वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022 पटल पर रखेंगे.

(7) **श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री,** मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024 पटल पर रखेंगे.

(8) **श्री दिलीप अहिरवार, राज्यमंत्री वन (डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत) –**

(क) खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 के नियम 18 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार जिला खनिज प्रतिष्ठान, जिला इंदौर, धार, मंदसौर, ग्वालियर एवं पन्ना के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023 तथा जिला सिंगरौली का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024, एवं

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्लास्टिक सिटी डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन ग्वालियर लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 2023-2024 पटल पर रखेंगे.

3. फरवरी, 2024 से मार्च, 2025 सत्र तक के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन खण्ड-4 पटल पर रखा जाना

4. नियम 267-क के अधीन मार्च, 2025 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

5. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

6. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) **श्री अजय अर्जुन सिंह, सदस्य,** प्रदेश के निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस की वसूली किए जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) **इंजीनियर प्रदीप लारिया, सदस्य,** शासन द्वारा वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन की राशि में बढ़ौत्री न किए जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

7. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति.

(1) **श्री हरदीप सिंह डंग, सभापति,** याचिका एवं अभ्यावेदन समिति का याचिकाओं से संबंधित तृतीय, चतुर्थ, पंचम् षष्टम्, सप्तम् एवं अष्टम् तथा अभ्यावेदनों से संबंधित सैंतीसवां, अड़तीसवां, उनचालीसवां, चालीसवां एवं इकतालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) **श्री हरिशंकर खटीक, सभापति,** शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का दशम्, एकादश, द्वादश, त्रयोदश एवं चतुर्दश प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(3) **श्री दिलीप सिंह परिहार, सभापति,** कृषि विकास समिति का पंचम् कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

8. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) **श्री पंकज उपाध्याय, सदस्य,** मुरैना जिले के -

(क) पर्वतपुरा अंतर्गत नरूआ से छऊआपुरा तक सड़क का निर्माण कराये जाने,

(ख) ग्राम भटियारा से नृपालपुरा तक सड़क का निर्माण कराये जाने,

(2) **श्री हेमंत सत्यदेव कटारे, सदस्य,** भिण्ड जिले के -

(क) ग्राम विजयगढ़ शासकीय माध्यमिक विद्यालय से बगुलरी तक सड़क का निर्माण कराये जाने,

(ख) पृथ्वीपुरा से पाबई सड़क मार्ग उएल नहर के अंधे मोड पर बनी क्षतिग्रस्त पुलिया की शीघ्र मरम्मत कार्य कराये जाने,

(3) **डॉ. सतीश सिकरवार, सदस्य,** ग्वालियर शहर के -

(क) वार्ड क्रमांक-28 अंतर्गत हरनामपुरा बजरिया होते हुए सचिन तेन्दुलकर मार्ग का सी.सी. सड़क एवं नाली का निर्माण कराये जाने,

(ख) वार्ड क्रमांक 18 अंतर्गत दीनदयाल नगर में सड़क एवं नाली का निर्माण कर ये जाने,

(4) **श्री फूलसिंह बरैया, सदस्य,** दतिया जिले के ग्राम बदनपुर से बावरी सरकार तक पक्का रोड निर्माण कराये जाने,

(5) **श्री राजेन्द्र भारती, सदस्य,** दतिया जिले के -

(क) ग्राम उदगुआ बस स्टेण्ड से जलालपुर तक सड़क का निर्माण कराये जाने,

(ख) ग्राम कुरथरा से ऐरई तक सड़क का निर्माण कराये जाने,

(6) **श्री बृज बिहारी पटैरिया, सदस्य,** रायसेन जिले के ग्राम खापा चमेली की ओर से सिंदूर नदी के पुल तक एप्रोच रोड का निर्माण कराये जाने,

(7) **श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य,** टीकमगढ़ जिले के -

(क) ग्राम अस्तौन में सर्वसुविधायुक्त खेल मैदान का निर्माण कराये जाने,

(ख) टीकमगढ़ जिला मुख्यालय पर हवाई पट्टी का निर्माण कार्य कराये जाने,

(8) **श्री हरिशंकर खटीक, सदस्य,** रायसेन जिले के सिलवानी अंतर्गत राज्य मार्ग 15 पर बजरंग चौराहे से ग्राम सांईखेड़ा के सोजनी मोड़ तक फोर लाईन सड़क व नाली का निर्माण कराये जाने,

(9) **श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य,** टीकमगढ़ जिले के तहसील दिगौड़ा के ग्राम खरोई से बैदउ व्हाया मड़िया-बाबा तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(10) **श्री अरविन्द पटैरिया, सदस्य,** अध्यक्ष महोदय में छतरपुर जिले के राजनगर अंतर्गत चौडाखेरा से डहर्रा तक नवीन सड़क एवं ब्रिज का निर्माण कराये जाने,

(11) **श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य,** पन्ना जिले की ग्राम पंचायत भसूडा में विद्युत ट्रांसफार्मर लगवाये जाने,

(12) **श्री रजनीश हरवंश सिंह, सदस्य,** सिवनी जिले के ग्राम भीमगढ़ से चरगवां होते हुए जटलापुर तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने,

(13) **श्री देवेन्द्र पटेल, सदस्य,** रायसेन जिले के ग्राम बसिया से चांदबड़ मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(14) **श्री गोपाल सिंह इंजीनियर, सदस्य,** सीहोर जिले के आष्टा अंतर्गत ग्राम पंचायत हरनावदा में श्रीराम धर्मशाला की रिटर्निंग वॉल का निर्माण कराये जाने,

(15) **श्री राजन मण्डलोई, सदस्य,** बड़वानी जिले की तहसील माठी ग्राम झरार के माध्यमिक स्कूल की मरम्मत कराये जाने,

(16) **श्री वीरसिंह भूरिया, सदस्य,** झाबुआ जिले के -

(क) झाबुआ जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय थांदला के पास नगर परिषद द्वारा फेंके जा रहे कचरे को रोकने,

(ख) ग्राम बेडावली सहारा कालोनी में नल जल योजना को चालू कराये जाने,

(17) **श्री उमंग सिंघार, सदस्य,** इंदौर एवं अन्य जिलों के बहुउद्देशीय कार्यकर्ता को सेवा में बहाल करने,

(18) **डॉ. हिरालाल अलावा, सदस्य,** धार जिले के ग्राम सावलाखेड़ी में सड़क का निर्माण कराये जाने,

(19) **डॉ. चिंतामणि मालवीय, सदस्य,** रतलाम जिले की तहसील नगर ताल स्थित आर्टस् महाविद्यालय में साईंस संकाय प्रारंभ करने,

(20) **श्री विपीन जैन, सदस्य,** मंदसौर जिले के ग्राम अघोरिया में पुलिया का निर्माण कराये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

9. वक्तव्य.

(1) **श्री प्रहलाद सिंह पटेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री,** प्रदेश के 43 जिलों की 94 जनपद पंचायतों के लिए भवन निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा राशि की स्वीकृत प्रदान किये जाने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

(2) **श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री,** विभिन्न श्रेणियों के विद्युत उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली सब्सिडी के नीतिगत निर्णय के संबंध में वक्तव्य देंगे.

(3) **श्री गौतम टेटवाल, राज्यमंत्री कौशल विकास एवं रोजगार,** दिनांक 16 जुलाई, 2024 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 113 (क्रमांक 3925) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

10. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए सदस्यों का निर्वाचन

कुंवर विजय शाह, जनजातीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे -

"सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234-क के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वर्ष 2025-2026 के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य होने के लिए अपने में से ग्यारह सदस्यों के निर्वाचन के लिए (जिनमें क्रमश: चार-चार सदस्य अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के होंगे) अग्रसर हों.".

11. पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के लिए सदस्यों का निर्वाचन

श्रीमती कृष्णा गौर, राज्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, प्रस्ताव करेंगी -

"सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234-द के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वर्ष 2025-2026 के लिए पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य होने के लिए अपने में से ग्यारह सदस्यों के निर्वाचन के लिए (जिनमें आठ सदस्य शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे) अग्रसर हों.".

12. वर्ष 2025-2026 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त), वर्ष 2025-2026 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

13. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री प्रहलाद पटेल, श्रम मंत्री, मध्यप्रदेश श्रम विधियां (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2025 (क्रमांक 5 सन् 2025) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

14. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में लगातार कम होते भू-जल स्तर एवं परंपरागत जल संग्रहण संरचनाओं के सतत् समाप्त होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री गोपाल भार्गव एवं श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 28 जुलाई, 2025